

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

Established by an act of Rajasthan Legislative Assembly and Recognized by UGC, NCTE and AIU



शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रम

सत्र : 2024-25

(दूरस्थ शिक्षामाध्यम द्वारा द्विवर्षीय कार्यक्रम)

प्रवेश निर्देशिका

[बी. एड. प्रवेश आवेदन पत्र केवल ऑन -लाइन ही भरा जायेगा, किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र ऑफ लाइन या हार्ड कॉपी में स्वीकार नहीं किया जायेगा ऑन -लाइन बी. एड. प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय फार्म एवं प्रवेश निर्देशिका में बताए गए मूल दस्तावेजों को संलग्न करे | संलग्न नही करने की अवस्था में फॉर्म स्वीकार नही किया जाएगा | आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच काउन्सलिंग के समय होगी आवेदक अपनी पात्रता सुनिश्चित करके ही फॉर्म भरे]

स्नातक शिक्षा (बी.एड.) संबंधी मान्यता आदेश

यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के उत्तर क्षेत्रीय समिति (NRC-NCTE), जयपुर से मान्यता प्राप्त है। इस पाठ्यक्रम को आरम्भ करने हेतु NRC-NCTE, जयपुर ने मान्यता आदेश संख्या : F-3/RJ-22/ B.Ed. (D.E)/2000/9745 के तहत दिनांक 21.8.2000 को स्थायी मान्यता आदेश जारी किया। तथा यू.जी.सी. ने पत्र क्रमांक F.No.6-7/2018(DEB-III) दिनांक 18.10.2018 द्वारा मान्यता को जारी रखा है। इस पाठ्यक्रम में कुल सीटों की संख्या 500 है।

Toll Free: 1800 – 180 – 6166

Phone: 0744-2797000, Fax No.:07442472525

E-mail: soe@vmou.ac.in , info@vmou.ac.in

Website: www.vmou.ac.in

प्रो. (डॉ.) कैलाश सोडाणी
कुलपति

श्री के.के. गोयल कुलसचिव	प्रो. बी. अरुण कुमार निदेशक (संकाय)	डॉ. कीर्ति सिंह निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
शिक्षा विद्यापीठ संकाय सदस्य		
डॉ कीर्ति सिंह (सह आचार्य)	9414024810	soe@vmou.ac.in keertisingh@vmou.ac.in
* डॉ. अनिल कुमार जैन (आचार्य)		
* डॉ.पतंजलि मिश्र (सहायक आचार्य)		
* डॉ. अखिलेश कुमार (सहायक आचार्य)		

* (on lien)

पाठ्यक्रम मान्यता सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य

1. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा राज्य सरकार के अधिनियम 1987 नं.35—1987 के अन्तर्गत स्थापित है। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश है।
2. यह विश्वविद्यालय यूजीसी के सेक्शन 12—बी के अन्तर्गत देश का एक मान्यता प्राप्त खुला विश्वविद्यालय है। (यू.जी.सी.पत्र संख्या एफ—5—11/87 सी.पी.पी. दिनांक 30 मार्च, 1989)
3. यह विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जा रहे सभी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री आदि अन्य सभी विश्वविद्यालयों के समकक्ष स्वीकृत हैं। EV/II(80)90/17630 दिनांक 28 फरवरी 1991)
4. यह बी.एड. कार्यक्रम NCTE से स्थायी मान्यता प्राप्त है। मान्यता क्रमांक :F-3/RJ-22/B.Ed. (D.E)/9145/2000 Dated: 21.8.2000 यू.जी.सी. ने पत्र क्रमांक F.No.6-7/2018 (DEB-III) दिनांक 18.10.2018 द्वारा मान्यता को जारी रखा है।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के परिपत्र F-I-52/2000(CPP-II) दिनांक 2 नवंबर, 2004 के अनुसार यू जी. सी. अधिनियम, 1956 सेक्शन 22(I) के अनुसार यह विश्वविद्यालय सभी प्रकार के सर्टिफिकेट , डिप्लोमा और डिग्री देने के लिए अधिकृत है | यू जी. सी. के अनुसार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा मुक्त/ दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान किये गए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री परम्परागत विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के समकक्ष माने जायेंगे| मान्यता संबंधित आवश्यक सभी प्रपत्र www.vmou.ac.in पर उपलब्ध है।

बी.एड. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मान्यता संबंधी पत्र

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART-III, SECTION IV

F-3/RJ-22/ B.Ed. (D.E)/2000/9745

Dated: 21.8.2000

RECOGNITION ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14 (3)(a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act 1993, **the Northern Regional Committee grants recognition to Kota Open University, Rawatbhata Road, Rajasthan for B.Ed. Distance Education two years from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 500 (Five Hundred) students** subject to fulfilling the following condition:

1. All such teachers already appointed who do not fulfill the NCTE norms shall acquire the qualification as per the norms within a period of two years of this order.
2. The institution shall ensure library, laboratories and other institutional infrastructure as per NCTE norms.
3. The admission to the approved courses shall be given only to those candidates, who are eligible as per the regulation governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/ State Government.
4. Tuition fees and other fees shall be charged from the students as per the norms of the affiliating university/ State Government till such time NCTE regulation in respect of fee structure come into force.
5. Curriculum transaction, including practical work/ activities should be organized as per the norms and standards for the course and the requirement of the affiliating university/ examining body.
6. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
7. The institution, if unaided shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
8. The institution shall continue to fulfill the norms laid down under the regulation of the NCTE and submit the Regional committee the Annual report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal should inter alia give the extent of compliance of the condition indicated at 1 to 7 above.

If Kota Open University, Rawatbhata Road, Kota Rajasthan contravenes the provision of the NCTE Act or the rules, regulation and orders made or issued there under or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provision of Section 17(I) of the NCTE Act.

By order,
Sd.
Regional Director

The Manager
Govt. of India
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi-110054

Copy to:

1. Secretary, Department of Secondary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. Education Secretary, Higher Education, Govt of Rajasthan, Jaipur
3. Education Secretary, Secondary Education, Govt of Rajasthan, Secretariat, Jaipur
4. Registrar, Kota Open University, Rawatbhata Road, Kota, Rajasthan
5. Director, Distance Education Council (IGNOU), 76, Hauz Khas, New Delhi-110016
6. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, New Delhi- 110016
7. The Head, Department of Education, Kota Open University, Rawatbhata Road, Kota, Rajasthan
8. Computer Cell (NRC)

Sd.
Regional Director

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय : एक परिचय

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के व्यापक दर्शन की पृष्ठभूमि पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1987 में राजस्थान राज्य सरकार शासन अधिनियम संख्या 35 - 1987 द्वारा इस उद्देश्य से की गयी कि तमाम ज्ञान और कला-कौशल की 'स्वयं सीख पाने' की विविध विधाओं द्वारा सक्षमता लोगों तक पहुँचायी जा सके। आरम्भ में इस विश्वविद्यालय को कोटा खुला विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। 21 सितम्बर, 2002 से इसका नाम बदलकर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय किया गया। विश्वविद्यालय अपने अनेक नूतन, समसामयिक एवं उपयोगी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सम्प्रेषण के नवीनतम प्रयोगों तथा सम्पर्क सत्रों द्वारा अधिक सुदृढ़ बनाता रहा है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य इस राज्य के त्वरित विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षित एवं विभिन्नकौशल में दक्ष उपयोगी मानव संसाधनों का विकास करना है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता से कभी भी किसी भी स्तर पर कोई समझौता न किया जाय। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में तीव्रता से हो रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयने अपने पाठ्यक्रमों को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि रोजगार एवं स्व-रोजगार के नित नये द्वार खुल सकें। विश्वविद्यालय मुख्य रूप से स्त्रियों जनजातियों तथा मुख्य धारा से अलग वर्गों के शैक्षिक उन्नयन हेतु कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय के निरन्तर होते विस्तार से इसकी पहुँच आज इस राज्य के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थलों तक जा पहुँची है। विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संगठनों से सहमति अनुबन्ध पत्र (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित करके व्यवस्था की गयी है कि तमाम ज्ञान और संसाधनों का जनहित में मिलजुल कर उपयोग किया जा सके। विश्वविद्यालय का मूल चिन्तन है कि विकास के सभी महत्वपूर्ण कारकों को गुणकारी उच्च शिक्षा द्वारा प्रतिष्ठित कर राज्य ही नहीं देश की सेवा में लाया जा सके। विश्वविद्यालय ने 7 क्षेत्रीय केन्द्र अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में स्थापित किये गए हैं। जहाँ से सम्बद्ध लगभग 108 अध्ययन केन्द्रों द्वारा पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें बी.एड. कार्यक्रम हेतु 10 अध्ययन केन्द्र कार्यरत हैं।

शिक्षा विद्यापीठ :

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के सतत शिक्षा विद्यापीठ के अंतर्गत शिक्षा विभाग को क्रमोन्नत कर वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय के पांचवें विद्यापीठ के रूप में 'शिक्षा विद्यापीठ' को वैधानिक स्वीकृति मिली। शिक्षा विद्यापीठ, विश्वविद्यालय की स्थापना से ही विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं प्रकृति के संपोषणीय विकास व एक नागरिक तथा ज्ञान समाज के निर्माण हेतु व अधिकाधिक शिक्षकों व शिक्षक प्रशिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सदैव प्रयत्नकरता रहा है। शिक्षा विद्यापीठ ने अपने उपयोगी पाठ्यक्रमों में पौर्वात्य एवं पाश्चात्य शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान की परंपरा का कुशल समायोजन किया है। शिक्षा विद्यापीठ के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है :-

1. शिक्षा में विद्या वारिधि (पीएच.डी.)
2. मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर
3. स्नातक शिक्षा (बी.एड.)
4. स्नातक [कला (शिक्षा एक विषय के रूप में)]
5. स्नातक [कला (मनोविज्ञान एक विषय के रूप में)]
6. स्नातक [कला एडीशनल (शिक्षा)]
7. स्नातक [कला एडीशनल(मनोविज्ञान)]

प्रमुख अनुदेशनसेवाएँ:

१. मुद्रित अनुदेशनसामग्री, २. परामर्श सत्र, ३. विशेष परामर्श सत्र, ४. प्रायोगिक सत्र, ५. वेब रेडियो, ६. ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, ७. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा, ८. ईमेल संवादसेवा, ९. दूरभाषसेवा, १०. मूडल आधारित अनुदेशन, ११. ग्रंथालय, १२. ई-लाइब्रेरी

नोट: शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तैयार की गयी यह कार्यक्रम विवरणिका अति संक्षिप्त है। इस विवरणिका में केवल बी.एड. प्रवेश परीक्षा से सम्बंधित विशिष्ट तथ्यों का ही विवरण है।

शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश निर्देशिका
Bachelor of Education (B.Ed.) Admission Guidelines

[बी. एड. प्रवेश आवेदन पत्र केवल ऑन -लाइन ही भरा जायेगा, किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र ऑफ लाइन या हार्ड कॉपी में स्वीकार नहीं किया जायेगा]

[Only online Application form would be accepted for B.Ed. Admission. Offline or hard copy of the application form will not be accepted in any circumstances.]

(प्रवेश इच्छुक अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वे कार्यालय समय सुबह 10.00 से सायं 5.00 के मध्य ही संपर्क करें)

क्र.सं.	बी.एड. प्रवेश से सम्बंधित स्पष्टीकरण हेतु सम्बंधित संपर्क सूत्रों के नाम	संपर्क सूत्र
	कॉल सेंटर	0744-2797 000
ऑन लाइन फार्म भरते समय यदि कोई तकनीकी समस्या आये तो निम्न से सम्पर्क करें -		
	श्री सौरभ पाण्डे	it@vmou.ac.in
	श्री अंतिम जैन	it@vmou.ac.in
शिक्षा विद्यापीठ संकाय सदस्य (योग्यता संबंधी/ शिक्षण अनुभव संबंधी स्पष्टीकरण हेतु)		
	डॉ कीर्ति सिंह (निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ)	9414024810
क्षेत्रीय केन्द्रों के नाम एवं सम्पर्क सू		
	क्षेत्रीय केंद्र, कोटा	0744-2473517, 9414028113
	क्षेत्रीय केंद्र, उदयपुर	0294-2417149 , 9414024836
	क्षेत्रीय केंद्र, भरतपुर	05644-294619,05644-294912
	क्षेत्रीय केंद्र, जोधपुर	0291-2949422, 9414024834
	क्षेत्रीय केंद्र, जयपुर	9414024954, 0141-2705965
	क्षेत्रीय केंद्र, बीकानेर	0151-2943130
	क्षेत्रीय केंद्र, अजमेर	0145-2941616, 9414024828

बी.एड. पाठ्यक्रम से संबंधित आवश्यक जानकारी

[बी. एड. प्रवेश आवेदन पत्र केवल ऑन-लाइन ही भरा जायेगा, किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र ऑफ लाइन या हार्ड कॉपी में स्वीकार नहीं किया जायेगा]

ऑन लाइन प्रवेश आवेदन फार्म भरने की आरंभिक तिथि : 13/01/2024

ऑन लाइन प्रवेश आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि : 31/01/2024

प्रवेश आवेदन केवल ऑन लाइन ही भरा जायेगा किसी भी परिस्थिति में ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रवेश प्रक्रिया शुल्क : 500 रूपये (ई-मित्र / नेट बैंकिंग के माध्यम से)

योग्यता : ऐसे सेवारत प्राइमरी शिक्षक जो निम्नलिखित तीनों योग्यताएं एक साथ रखते हों-

1. स्नातक/स्नातकोत्तर (कला/विज्ञान/वाणिज्य) परीक्षा सामान्य वर्ग न्यूनतम 50 प्रतिशत, बी.टेक स्नातक (विज्ञान गणित विशेषज्ञता के साथ) सामान्य वर्ग न्यूनतम 55 प्रतिशत से उत्तीर्ण हों।
2. जिन्होंने नियमित रीति से बी.एस.टी.सी. (B.S.T.C.)/ डी.एल.एड. (D.El.Ed.) इत्यादि समकक्ष* द्विवर्षीय प्राइमरी अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त है उत्तीर्ण किया हुआ हो।
3. किसी राजकीय/गैर राजकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालय में वर्तमान में प्राइमरी कक्षाओं (कक्षा 1 से 5 अथवा कक्षा 1 से 8) को पढ़ाने वाले अध्यापक हों।

राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर), अति पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर), द्विव्यांग तथा विधवा एवं तलाकशुद्धा महिला अभ्यर्थियों को उक्त स्नातक/स्नातकोत्तर अर्हता प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

नोट -

1. *यहां समकक्ष से तात्पर्य शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 वर्ष की पूर्ण अवधि का नियमित रीति से किया हुआ होना चाहिए तथा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इससे कम अवधि के लिए हुए पाठ्यक्रम के आधार पर किसी राज्य सरकार ने प्रार्थी को तृतीय श्रेणी अध्यापक की नियुक्ति दे दी हो तो भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि वह शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 वर्षीय बी.एस.टी.सी. (B.S.T.C.)/ डी.एल.एड. (D.El.Ed.) के समकक्ष है। प्रार्थी स्वयं उस पाठ्यक्रम की अवधि तथा बी.एस.टी.सी. (B.S.T.C.)/ डी.एल.एड. (D.El.Ed.) का एनसीटीई से मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही प्रवेश फार्म भरें व संलग्न करें। चयन होने पर काउन्सलिंग के समय उसे प्रस्तुत करना होगा।
2. यदि किसी अभ्यर्थी के (B.S.T.C.)/ डी.एल.एड. (D.El.Ed.) की अंकतालिका/प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र और परिणाम घोषणा की तिथि में 2-3 माह से ज्यादा का अन्तर हो तो प्रार्थी इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का नियमित रीति से पूर्ण करने का शिक्षण सत्र क्या है। ऐसा विद्यार्थी अपनी संस्थान से जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र अथवा चरित्र प्रमाण पत्र पर लिखवा कर प्राप्त करे। तभी प्रवेश आवेदन पत्र भरे। इस मूल प्रमाण पत्र को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें एवं प्रवेश काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करें।

नोट:— शिक्षण अनुभव में न्यूनतम दो वर्ष के अनुभव की बाध्यता नहीं है केवल वर्तमान में अध्यापक होना पर्याप्त है, लेकिन पूरी बी.एड. के दौरान भी वह अध्यापक रहना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी परिविक्षा काल के दौरान आवेदन कर रहा है तो विभाग से स्वीकृति लेना उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। विभाग उसे किन्हीं शर्तों पर स्वीकृति देता है और बी0एड0 अवधि में नियत समय पर यदि कोई घटक पूर्ण नहीं कर पाता है तो विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बी0एड0 के दोनों वर्षों के संभावित कलेण्डर में उल्लेखित तिथियों में किसी कारणवश परिवर्तन हो तो यह विद्यार्थियों को मान्य होगा।

नोट -

1. वही विद्यार्थी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करे जिनका स्नातक में वांछित प्रतिशत (सामान्य वर्ग 50 प्रतिशत, आरक्षित वर्ग 45 प्रतिशत) नहीं है और स्नातकोत्तर में यह वांछित प्रतिशत है।
2. यदि किसी विद्यार्थी ने दो विषयों में स्नातकोत्तर कर रखा है तो उसी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करें (जिससे संबंधित शिक्षण विषय बी.एड. में लेना है।)

3. जिन विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंक तालिका में CGPA ग्रेड मिला है वे अपने विश्वविद्यालय से उस ग्रेड को प्रतिशत में बदलवा कर ही आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।

पाठ्यक्रम अवधि : न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष

क्रेडिट : 75

पाठ्यक्रम शुल्क :

प्रथम वर्ष शुल्क: 26,880 रूपये अथवा राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन राशि दोनों में से जो भी अधिक है। प्रवेश वरीयता सूची में आने पर काउन्सिलिंग के दौरान पात्र होने की स्थिति में मुख्यालय कोटा पर विश्वविद्यालय परिसर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बैंक चालान द्वारा जमा किया जाएगा।

द्वितीय वर्ष शुल्क: 26,880 रूपये अथवा राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित राशि दोनों में से जो भी अधिक हो।

प्रथम वर्ष की परीक्षा के उपरान्त द्वितीय वर्ष के जनवरी/फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में ऑन लाइन फार्म भरते समय द्वितीय वर्ष का शुल्क लिया जायेगा शुल्क ई-मित्र/ नेट बैंकिंग द्वारा भरा जा सकेगा। चाहे प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम आये या न आये। आपको द्वितीय वर्ष का प्रमोटी फार्म आवश्यक रूप से भरना है।

शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र :

यह पाठ्यक्रम प्राइमरी कक्षाओं (कक्षा 1 से 5 अथवा 1 से 8) को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है इसलिए इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय से ही शिक्षक होना आवश्यक है, जो आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न है। जिसके सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश काउन्सिलिंग के समय मूल शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अभ्यर्थी का शिक्षण अनुभव प्रवेश आवेदन फार्म भरने की अन्तिम तिथि अथवा उसके पूर्व से होना चाहिए अर्थात् आवेदक प्रवेश आवेदन करने से लेकर निरन्तर अध्यापक होना चाहिए। **शिक्षण अनुभव 2 वर्ष का होने की बाध्यता नहीं है।** शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश फार्म भरते समय संलग्न करें और यदि मेरिट सूची में चयन हो जाये तो काउन्सिलिंग के समय उपस्थित होने पर उसका मूल दस्तावेज बनवायें। अभ्यर्थी को शिक्षण अनुभव से सम्बंधित तथ्यों को आवेदन पत्र में ऑन-लाइन भरना होगा जिसे प्रवेश काउन्सिलिंग के समय अनुभव प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा। ध्यातव्य हो कि शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे प्रवेश काउन्सिलिंग के समय मूल दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना होगा। आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि ऑन लाइन आवेदन पत्र भरते समय इसकी जाँच अवश्य कर लें। लापरवाही या भूलवश की गई कोई भी गलती स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी विद्यालय में अध्यापन अनुभव होना आवश्यक है। प्राइमरी अध्यापक के अलावा अन्य किसी भी पद पर कार्यरत रहते हुए अगर शैक्षणिक अनुभव है तो वह मान्य नहीं होगा साथ ही वर्तमान में विद्यालय में कार्यरत होना भी आवश्यक है।

शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते समय निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखा जाये:

प्रवेश फॉर्म के समय विवरणिका में जिस प्रकार का प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र को आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य किसी भी प्रकार के प्रारूप को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1. शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र में दिए गए स्थानों पर सही जानकारी साफ सुथरी भरी या लिखी जानी आवश्यक है। किसी भी प्रकार की ओवराईटिंग या काट छांट वाला प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। वह संस्था प्रधान से सत्यापित (तिथि के साथ) एवं विद्यालय जावक क्रमांक एवं तिथि अंकित किया हुआ होना चाहिए। निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत अभ्यर्थी को उस विद्यालय की राज्य/केंद्र सरकार से मान्यता पंजीकरण संख्या मय दिनांक भरना आवश्यक है।
3. निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी /ब्लाक शिक्षा अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी) से प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। तथा उस कार्यालय के जावक क्रमांक भी इंगित होना चाहिए।

4. शिक्षक जो स्वयं विद्यालय प्रधान हैं, वे अपने उच्च अधिकारी से शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करें।
5. वे अभ्यर्थी जो राजस्थान राज्य से बाहर किसी राज्य/केन्द्र सरकार के किसी विद्यालय में कार्यरत हैं वे अपने शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवा कर मय जावक क्रमांक के प्रस्तुत करें तथा अपना नियुक्ति पत्र एवं इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से बनवाकर लायेंगे कि यदि उनका इस विश्वविद्यालय की बी.एड.कार्यक्रम में प्रवेश हो जाता है तो वे अवकाश लेकर इण्टर्नशीप, प्रेक्टिस टिचिंग, फाइनल लेसन इत्यादि लगभग 6 माह के कार्य राजस्थान राज्य के विद्यालयों में करेंगे और उनके विद्यालय/विभाग को इस हेतु कोई आपत्ति नहीं होगी। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्हें काउन्सिल के समय प्रस्तुत कसा होगा | द्वितीय वर्ष इंटरशीप कार्य को राजस्थान में करने हेतु अपने विभाग से 6 माह के अवकाश की स्वीकृति काउंसलिंग के समय ही प्रस्तुत करनी होगी| प्रथम वर्ष के 144 घंटे का सत्र पर्यंत बटा हुआ प्रायोगिक कार्य भी राजस्थान के स्कूलों में ही करना होगा | अतः इन्हें हिदायत दी जाती है की वे अपने विभाग/विद्यालय से पूर्ण रूप से अवकाश मिलने की स्थिति तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र के मिलने की स्थिति में ही बी.एड. प्रवेश फार्म भरें। उपरोक्त सभी के अभाव में काउंसलिंग के समय उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा |
6. यदि किसी अभ्यर्थी अथवा रक्षाकर्मी ने राजस्थान राज्य से बाहर का शिक्षण प्रमाण पत्र (BSTC/D.El.Ed.) नाम के अलावा नाम से कर रखा है तो वह उस संस्थान से इस पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष होना, पाठ्यक्रम नियमित रीति से होना तथा NCTE से मान्यता प्राप्त होना तीनों का उल्लेख किया हुआ प्रमाण जारी करवा कर प्रस्तुत करें। इसे प्रवेश फार्म भरते समय संलग्न करें और काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करें। इसके अभाव में वे बी.एड. (दूरस्थ शिक्षा) हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्रवेश आरक्षण नीति:

1. आरक्षण नियमों का पालन राजस्थान राज्य के शैक्षिक संस्थानों का आरक्षण नियमों के आधार पर किया जाएगा।
2. बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश यू.जी. में प्राप्त प्रतिशत की मेरिट के आधार पर जारी की गई वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा। विदित हो कि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षण का लाभ केवल ऐसे आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है तथा वे NCTE मानदण्डानुसार निर्धारित पात्रता एवं योग्यता रखते हों | बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश राजस्थान राज्य के शैक्षिक संस्थानों के आरक्षण नियमों के आधार पर आरक्षण देते हुए वरीयता सूची बनाई जाएगी।
3. कश्मीरी विस्थापितों के लिए नियमानुसार उपलब्ध सीटों में आरक्षित वर्ग की सीटों के अतिरिक्त एक सीट आरक्षित रहेगी। (कश्मीरी विस्थापितों के लिए भी एनसीटीई के द्वारा निर्धारित योग्यता की पालना सुनिश्चित करना आवश्यक है।)
4. जो अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित क्षेत्र) S.T. (SA) से आते हैं वे अपने निर्धारित आरक्षण प्रमाण पत्र आवेदन फार्म के साथ संलग्न करें।
5. सेवारत/ सेवामुक्त/ सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी के लिए राजस्थान सरकार के नियमानुसार आरक्षण देय होगा। बशर्ते वे NCTE मानदण्डानुसार इस परीक्षा हेतु निर्धारित पात्रता एवं योग्यता रखते हों। इस हेतु उन्हें रक्षाकर्मी/यूनिट मेजर/सचिव, सैनिक बोर्ड द्वारा नियमानुसार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में इस श्रेणी के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।

आरक्षण का लाभ ले रहे विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पहले निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर लें:—

1. वह आवेदक जो एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (नान क्रीमीलेयर)/एस.बी.सी. अथवा एम.बी.सी. (नान क्रीमीलेयर) / एस.टी. - (अनुसूचित क्षेत्र), / EWS वर्गों से होंगे उन्हें जिला दण्ड अधिकारी/उपजिला जिलादण्ड अधिकारी/तहसीलदार के द्वारा अथवा उस प्रमाण पत्र के लिये निर्धारित सक्षम अधिकारी से मान्य प्रारूप में प्रमाण पत्र संलग्न करें उनका राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र .बी.एड. प्रवेश वरीयता सूची की काउंसिलिंग के समय तक मान्य होना चाहिए। विदित हो कि ओ.बी.सी. / एस.बी.सी. अथवा एम.बी.सी. (Non Creamy layer) का प्रमाण पत्र आवेदन के समय से एक वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए। यह आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें। प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय तथा काउंसिलिंग के समय प्रार्थी OBC (Non Creamy layer) में होना आवश्यक है।
2. तलाकशुदा महिला आवेदकों को न्यायालय द्वारा दी गई तलाक की प्रति सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विधवा आवेदकों को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका से हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत करना होगा। जिसको आवेदन फार्म के समय संलग्न करना होगा।
3. विधवा एवं परित्यक्ता संवर्ग की महिलाएं इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें, जिसमें यह उल्लेख हो कि मैं अभी भी विधवा/परित्यक्ता हूँ मैंने पुनः विवाह नहीं किया है। विधवा संवर्ग के लिए पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा एवं परित्यक्ता संवर्ग की महिलाएं न्यायालय से जारी डिक्री की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें व आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
4. शारीरिक विकलांग आवेदकों को सम्बन्धित डी.एम.एच.ओ.के द्वारा प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
 - जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ मेडिकल बोर्ड अथवा असमर्थता अंग संबंधी आंगिक विशेषज्ञ रीडर द्वारा हस्ताक्षरित या
 - जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ असमर्थता अंग संबंधी आंगिक कनिष्ठ विशेषज्ञ अथवा वहाँ के सी.एम.एच.ओ. द्वारा हस्ताक्षरित

शिक्षण विषय चयन संबंधी निर्देश

बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में विद्यालय शिक्षण विषय होना अनिवार्य है। (आपका निम्नलिखित निर्देशों के अनुरूप शिक्षण विषय बन रहा हो तो ही प्रवेश आवेदन फार्म भरें)

- (i) **शिक्षण विषय** से अभिप्राय है ऐसा विषय जो अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु लिया हो यह विषय ऐच्छिक या सहायक विषय भी हो सकता है, बशर्ते अभ्यर्थी ने इस विषय में कम से कम दो वर्षों तक अध्ययन किया हो और विश्वविद्यालय ने प्रतिवर्ष इस विषय की परीक्षा ली हो। **शिक्षण विषय** में ऐसे विषय सम्मिलित नहीं होते जिनका अभ्यर्थी ने डिग्री पाठ्यक्रम के लिए आंशिक अध्ययन किया हो। अतः अर्हताकारी विषय सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य शिक्षा/भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास/प्रारंभिक गणित आदि जैसे विषय जो केवल प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में निर्धारित किये गये हैं या फिर वह विषय जो प्रथम वर्ष में पढ़ कर द्वितीयादि वर्षों में छोड़ दिया गया हो - शिक्षण विषय के रूप में नहीं माना जायेगा। ऑनर्स स्नातक के लिए ऑनर्स के विषय के अलावा सहायक विषय

- को भी माना जायेगा बशर्ते अभ्यर्थी ने उस विषय को न्यूनतम दो शिक्षा सत्रों तक पढ़ा हो और प्रत्येक सत्र के अंत में उसकी परीक्षा दी हो। त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की अंकतालिका में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के प्राप्तांक एवं द्विवर्षीय स्नातक उपाधि की स्थिति में द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के प्राप्तांक अलग अलग दर्शित किये जाकर इनका संकलन होना आवश्यक है।
- (ii) जिन अभ्यर्थियों ने अपनी बी.ए. डिग्री इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र मनोविज्ञान और समाजशास्त्र इन विषयों में से किन्हीं दो विषयों को लेकर प्राप्त की है उन्हें बी.एड. परीक्षा हेतु सामाजिक ज्ञान (social studies) विषय लेने की अनुमति होगी।
- (iii) कृषि स्नातकों को बी.एड. परीक्षा के लिये विज्ञान और जीव विज्ञान (Biology) विषय लेने की अनुमति होगी। सामान्य विज्ञान विषय लेने की अनुमति उन अभ्यर्थियों के लिए भी रहेगी जिन्होंने अपनी बी.एस.सी. डिग्री होम साइन्स विषय लेकर अथवा बी.एस.सी. परीक्षा 1. रसायन विज्ञान (Chemistry) और जीवन विज्ञान (Life Science) का कोई विषय अर्थात् जीव विज्ञान (Biology) अथवा वनस्पति विज्ञान (Botany) अथवा जन्तु विज्ञान (Zoology) विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
- (iv) जिस अभ्यर्थी ने बी.ए. अथवा एम.ए. परीक्षा राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय लेकर उत्तीर्ण की है, वह बी.एड. परीक्षा हेतु शिक्षण विषय के रूप में नागरिक शास्त्र (Civics) विषय लेने का पात्र होगा।
- (v) जहां किसी अभ्यर्थी ने स्नातक परीक्षा के संकाय से भिन्न एक ही संकाय के दो विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की हो और स्नातकोत्तर परीक्षा के दोनों विषय शाला शिक्षण विषय हो और अभ्यर्थी दोनों विषय अध्ययन विषय के रूप में चुनना चाहे तो उसके स्नातकोत्तर परीक्षा का विषय दिया जा सकता है।
- (vi) वाणिज्य स्नातक 'अर्थशास्त्र' विषय नहीं ले सकता है।
- (vii) अभ्यर्थी जिनके स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में पढ़े हुए विषयों के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में पढ़ाये जाने वाले कोई दो विषय नियमानुसार नहीं बनते है वे बी.एड. प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु पात्र नहीं है। बी.बी.ए. /बी.सी.ए. /बी.एस.सी. बायोटेक्नॉलोजी या अन्य कोई ऐसी स्नातक डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके नियमानुसार बी.एड. पाठ्यक्रम में पढ़ाये जाने वाले विद्यालयी विषय नहीं बनते है वे भी बी.एड. प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु पात्र नहीं है।

आवेदकों के लिए ऑन-लाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश

- अभ्यर्थी को बी.एड. प्रवेश वेदां फार्म भरते समय अपनी पात्रता एवं केटेगरी का निर्धारण स्वयं करना होगा। आन लाइन प्रवेश फार्म भरते समय आपको सभी मूल दस्तावेज की प्रति लगानी हैं, विश्वविद्यालय द्वारा इसकी जाँच पुन्ह. काउन्सलिंग के समय की जाएगी आपकी बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जाएगा। वरीयता सूची में आने पर काउन्सलिंग के लिए बुलाये जायेंगे उस समय आपके सभी मूल दस्तावेज की जाँच की जाएगी, कोई गलत जानकारी पायी गयी तो आपको बी.एड. में प्रवेश नहीं मिलेगा। अतः वे ही अभ्यर्थी बी.एड. प्रवेश फार्म भरें जो इसकी पात्रता रखते हों।
- एकल बैठक परीक्षा पद्धति से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी चाहे उन्होंने बाद में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण क्यों न कर ली हो बी.एड. प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु पात्र नहीं है। इस प्रकार 10+2+3 या 10+1+3 परीक्षा पद्धति से परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी भी बी.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु पात्र नहीं है।
- आवेदक का प्रवेश में वरीयता सूची में स्थान आने के पश्चात विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार है कि वह आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच करें। किसी भी समय दोषी पाए जाने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त किया जाएगा व फीस जब्त कर ली जाएगी।

- विश्वविद्यालय द्वारा अपूर्ण ऑन-लाइन आवेदनों को स्वीकृत नहीं किया जायेगा ना ही उन पर किसी प्रकार का पत्र व्यवहार किया जायेगा। अतः आप सावधानीपूर्वक ऑन-लाइन आवेदन करें। आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी अंतिम मानी जाएगी, जिसमें किसी भी परिस्थिति में सुधार नहीं किया जाएगा।
- बी.एड. आवेदन फॉर्म की फीस किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं की जाएगी।
- विज्ञापन के पश्चात् भी यदि NCTE द्वारा योग्यता/पात्रता सम्बन्धी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के नियमों में बदलाव किया जाता है तो वह विद्यार्थी को मान्य होगा। ऐसी किसी भी स्थिति में प्रवेश आवेदन शुल्क नहीं लौटाया जाएगा।
- वे अभ्यर्थी जो कश्मीरी विस्थापित है और वर्तमान में प्राइमरी (कक्षा 1 से 5 अथवा 1 से 8) विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत है वे कश्मीरी विस्थापित का सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र संलग्न करें एवं काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करें, इसके अतिरिक्त उन्हें एनसीटीई के द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करना भी आवश्यक है।
- वे अभ्यर्थी जो सेवारत/ सेवामुक्त/ सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी हैं और वर्तमान में प्राइमरी (कक्षा 1 से 5 अथवा 1 से 8) विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत है वे सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें लेकिन उन्हें एनसीटीई के द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करना आवश्यक है। उनका B.S.T.C./D.El.Ed. प्रमाण पत्र किसी अन्य नाम से है तो उसकी अवधि दो वर्षीय होनी चाहिए। उसे नियमित रीति से उत्तीर्ण किया हो तथा वह NCTE से मान्यता प्राप्त हो। रक्षाकर्मी इस आशय का प्रमाण पत्र उस संस्थान से प्राप्त करके ही प्रवेश फार्म भरे और संलग्न करें। चाहे कम अवधि के प्रमाण पत्र के आधार पर किसी राज्य सरकार ने रक्षाकर्मी को तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में नियुक्ति दे दी हो लेकिन वह NCTE द्वारा निर्धारित नियमित रीति से की हुई दो वर्षीय B.S.T.C./D.El.Ed. की निर्धारित मानदण्ड को पूरा नहीं करने के अभाव में बी0एड0 (ODL) की इस प्रवेश के लिए पात्र नहीं है।

बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। वरीयता सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दिये गये मोबाइल न. पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा फिर भी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की website: www.vmou.ac.in को निरन्तर देखते रहना चाहिए जब तक कि वरीयता सूची जारी न हो जाए। काउन्सलिंग की कोई सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जाएगी।

बी.एड कार्यक्रम जनवरी 2024 प्रवेश में वरीयता सूची के लिए मेरिट निर्माण के नियम
न्यूनतम योग्यता के साथ बी.एड कार्यक्रम सत्र जनवरी 2024 के प्रवेश नियम:

1. यू.जी. में प्राप्त प्रतिशत को आधार बनाकर मेरिट बनाई जाएगी।
2. यू.जी. में समान प्रतिशत होने की स्थिति में 12वीं में प्राप्त प्रतिशत को मान्य किया जाएगा।
3. 12वीं में समान प्रतिशत होने की स्थिति में 10वीं में प्राप्त प्रतिशत को मान्य किया जाएगा।
4. 10वीं समान में प्राप्त प्रतिशत होने की स्थिति में शिक्षण अनुभव को मान्य किया जाएगा।
5. शिक्षण अनुभव में समानता होने की स्थिति में अधिक उम्र को मान्य किया जाएगा।

बी.एड कार्यक्रम 2024 प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म के साथ लगाए जाने वाले संलग्नक/जिनकी जाँच पुनः
काउन्सलिंग के समय की जाएगी।

1. राजस्थान डोमिसाइल प्रमाण पत्र
2. BSTC मार्कशीट
3. 10वीं कक्षा की मार्कशीट
4. 12वीं कक्षा की मार्कशीट
5. बी.ए. की मार्कशीट
6. एम.ए. की मार्कशीट
7. आयु प्रमाण पत्र
8. शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र (विश्व विद्यालय द्वारा दिए गए प्रारूप में)
9. जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/ST-SA)(OBC- Non Creamy layer/ SBC- Non Creamy layer/ SBC- Non Creamy layer/EWS: एक वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए)

10. सेवारत/ सेवामुक्त/ सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी प्रमाण पत्र

11. कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र

12. तलाकशुदा महिला प्रमाण पत्र (न्यायालय द्वारा दी गई तलाक की प्रति सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)

विधवा आवेदकों (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका से हस्ताक्षरित)

नोट: विधवा एवं परित्यक्ता संवर्ग की महिलाएं इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें, जिसमें यह उल्लेख हो कि मैं अभी भी विधवा/परित्यक्ता हूँ। मैंने पुनः विवाह नहीं किया है। विधवा संवर्ग के लिए पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा एवं परित्यक्ता संवर्ग की महिलाएं न्यायालय से जारी डिक्री की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

13. विकलांग प्रमाण पत्र (सम्बन्धित डी.एम.एच.ओ.के द्वारा प्रमाण पत्र)

नोट: जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ मेडिकल बोर्ड अथवा असमर्थता अंग संबंधी आंगिक विशेषज्ञ रीडर द्वारा हस्ताक्षरित या जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ असमर्थता अंग संबंधी आंगिक कनिष्ठ विशेषज्ञ अथवा वहाँ के सीएम.एच.ओ. द्वारा हस्ताक्षरित

आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी अंतिम मानी जाएगी, जिसमें किसी भी परिस्थिति में सुधार नहीं किया जाएगा।

शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय जावक क्रमांक: -----

दिनांक: -----

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती -----

पुत्र श्री/पुत्री श्री ----- विद्यालय का नाम -----

----- दिनांक ----- से लगातार वर्तमान में प्राइमरी शिक्षक (सहायक अध्यापक) पद पर स्थायी/ अस्थायी /परिविक्षा पर कार्यरत हैं। जो विद्यालय में कक्षा 1 से 5 / कक्षा 1 से 8 में अध्यापन कार्य करते हैं। ये वेतन श्रृंखला में कुल मासिक वेतन रूपये प्राप्त करते हुए कुल वार्षिक आय रूपये प्राप्त कर रहे हैं/करेंगे।

निम्नलिखित में से जो भी आपकी संस्था पर लागू हो उसके सामने (✓) सही का निशान लगायें। एवं आवश्यक जानकारी भरे।

1. यह विद्यालय राजकीय विद्यालय है जो राज्य / के सरकार द्वारा संचालित है। ()
अथवा
2. यह विद्यालय गैर राजकीय विद्यालय है जो राज्य /केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ()
मान्यता प्राप्ति का वर्ष क्रमांक -----, -----, -----, दिनांक -----
मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ की उपर्युक्त विवरण सही है।

जि.शि.अ.कार्यालय जावक क्रमांक: -----

दिनांक: -----

प्रतिहस्ताक्षर *
जिला शिक्षाधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी (मय सील)
(पूरा नाम)

हस्ताक्षर
संस्था प्रधान (मय सील)
(पूरा नाम)

* गैर राजकीय विद्यालय एवं राजस्थान राज्य से बाहर के विद्यालयों के अभ्यर्थी प्रति हस्ताक्षर करवायें, एवं वे अभ्यर्थी जो स्वयं संस्था प्रधान हैं वे अपने उच्च अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवायें।

नोट -

1. आवेदनकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रवेश फार्म भरते समय एवं काउन्सलिंग के दौरान भी विद्यालय में नियमित रूप से पढा रहा हो। तथा पूरी बी.एड. के दौरान भी अध्यापक रहना चाहिए।
2. विश्वविद्यालय को जो भी सूचना चाहिए वो प्रारूप में दी गई है। यदि संलग्न प्रारूप में ही हस्ताक्षर नहीं हुए तो विश्वविद्यालय शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को अनुपयुक्तमान कर अस्वीकार कर सकता है।
3. विवाहित महिला अभ्यर्थी का विवाह के पश्चात नाम/सर नेम बदला हो तो काउन्सलिंग के समय गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करें तथा राज्य सरकार में यदि आपके बदले हुए नाम से नियुक्ति हुई हो तो वह नियुक्तिपत्र भी प्रस्तुत करें।
4. अभ्यर्थी इस अनुभव प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखें तथा प्री. बी.एड. परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रवेश काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करें। अनुभव प्रमाण पत्र मूल हस्ताक्षर किया हुआ ही प्रस्तुत करें। तथा काउन्सलिंग के समय नया अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर भी लायें।
5. यदि एक से अधिक विद्यालयों में कार्यरत रहे हो तो और आप चाहे तो उन सबके अलग से प्रमाण पत्र बनवाकर संलग्न करें। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रारूप की पंक्ति संख्या 3 में "लगातार" शब्द के स्थान पर विद्यालय छोड़ने की दिनांक भी लिखें।
6. शिक्षक जो स्वयं विद्यालय प्रधान हैं, वे अपने उच्च अधिकारी से शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करें।